AC (F)

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1702—1707

Dated : 28-12-2013

शहरी विकास मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2013

सा.का.नि. 292.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मुद्रण और लेखन सामग्री (वर्ग I और वर्ग II पद) भर्ती नियम, 1963 और जहां तक उनका संबंध उप नियंत्रक (निरीक्षण) के पद से है, को उन बातों के सिवाय ऐसे अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय के अधीन भारत लेखन सामग्री कार्यालय में उप नियंत्रक (निरीक्षण) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार, लेखन सामग्री कार्यालय, उप नियंत्रक (निरीक्षण) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप नियंत्रक (निरीक्षण)	1* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3, (15600—39100 रु.) + ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** सहायक नियंत्रक (निरीक्षण/परीक्षण) जिनकी वेतन बैंड-2 (9300—34800 रु.) + ग्रेड वेतन 4600 रु. श्रेणी में सात वर्ष की नियुक्ति सेवा है और लेखन सामग्री विषय जिसके अंतर्गत पेपर से बने उत्पाद भी हैं के निरीक्षण और परीक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय से प्रशिक्षण रखते हैं । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापित ग्रेड है । **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जो : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, (15600—39100 रु.) ग्रेड वेतन 5400 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा है; या (iii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, (9300—34800 रु.) ग्रेड वेतन 4800 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में छह वर्ष की सेवा है; या

(11)

(iv) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, (9300—34800 रु.) ग्रेड वेतन 4600 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में सात वर्ष की सेवा है; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं ।

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन में 60 प्रतिशत अंक के साथ बीएससी या बीएससी (आनर्स)

(ii) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के संगठन या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के अधीन या अनुसंधान संस्था या लोक उपक्रम के किसी रसायन प्रयोगशाला में लेखन सामग्री और उनसे संबद्ध भंडारों के परीक्षण जिसके अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अनुसार भंडार के निरीक्षण के क्षेत्रों में अनुभव भी सम्मिलित है, में पांच वर्ष का अनुभव रखते हैं ।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय का भारसाधक —सदस्य 3. नियंत्रक, लेखन सामग्री, भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से प्रत्येक अवसर पर परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-12018/2/2006-लेखन सामग्री]

अरूण बैनर्जी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2013

G.S.R. 292.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in partial supersession of the Printing and Stationery (Class I and Class II posts), Recruitment Rules, 1963, in so far as they relate to the posts of Deputy Controller (Inspection), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Controller (Inspection) in the Government of India Stationery Office, under the Ministry of Urban Development, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Government of India Stationery Office, Deputy Controller (Inspection) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the Pay Band and Grade Pay or Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to the Rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, educational qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall not be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Controller (Inspection)	01* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Pay Band-3, (Rs. 15600—39100 and Grade Pay Rs. 6600	Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation.	**Promotion :** Assistant Controller (Inspection/Testing) in the Pay Band-2 (Rs. 9300—34800) with Grade Pay Rs. 4600 with seven years regular service in the grade and have undergone training in the field of inspection and testing of stationery items including paper and paper made products in the Government of India Stationery Office, Kolkata. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Deputation :** Officer under the Central Government : (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five year's service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Band-3 (Rs. 15600—39100) with Grade Pay of Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre/department; or (iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Band-2 (Rs. 9300—34800) with Grade Pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre/department; or (iv) with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Band-2 (Rs. 9300—34800) with Grade Pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : (i) B.Sc. (Honours) in Chemistry or B.Sc. with 60% Marks in Chemistry from a recognized University; (ii) Possessing five years' experience in testing of stationery and allied stores in a chemical laboratory under the State/Central Government organization or under a recognized university or

(11)
research institution or in a public sector undertaking, including experience in the field of inspection of stores as per Bureau of Indian Standard specifications. **Note 1 :** Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government, shall ordinarily not to exceed four years. **Note 3 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application. **Note 4 :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6ixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/ pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) :— 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Joint Secretary In-charge of Government of India, Stationery Office, Ministry of Urban Development —Member 3. Controller of Stationery, Government of India, Stationery Office —Member	Consultation with UPSC necessary on each occasion.

[F. No. A-12018/2/2006-Sty.]

ARUN BANERJEE, Under Secy.

MGIPRRND—5473 UD/2013—100 Copies.